न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 221/2017/डिक्री

नाराण उर्फ नारायण पिता भागु गुर्जर
निवासी सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. रेखा कुमावत पुत्री हीरालाल कुमावत
   निवासी दुर्ग चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
3. ग्रामसेवा सहकारी समिति सेंती जरिये अध्यक्ष जी.एस.एस. चित्तौड़गढ़
   तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 19.06.2017 प्रकरण सं. 181/2016

उपस्थित – 1. श्री ललित लढा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बंशीलाल गर्ग – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1

निर्णय दिनांक– 09.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्टस की ओर से दिनांक 16/03/2017 को उपस्थिति पेश की तथा प्रकरण जवाबदावा हेतु आगामी पेशी दिनांक 31/05/2017 को नियत हुआ किन्तु उक्त प्रकरण को शीघ्र सुनवाई सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र अपीलान्ट को नही मिला और दिनांक 31/05/2017 की प्रोसेडिंग मे उक्त प्रकरण को केम्प कोर्ट एराल मे पेश होने का अंकन किया किन्तु कोई तारीख अंकित नही की तथा उक्त प्रकरण मे दिनांक 19/06/2017 को प्राथमिक डिक्री कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया जबकि उक्त वाद मे अपीलान्ट/प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया। अन्य प्रतिवादीगण की भी तामील नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत

करने कोई अवसर प्रदार नही किया तथा प्रकरण को लोक अदालत मे बिना पक्षकारो की उपस्थिति के बिना राजीनाता प्रस्तुत हुए ही वाद को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे पारित कर दी जो विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2. उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादिया का कोई खातेदारी अधिकार भी नही है न ही वादिया को कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक साक्ष्य लिये बगैर उक्त आदेश व डिक्री पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त वाद राजस्व ग्राम सेंती की वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन सम्बन्धी प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट की तामील होने पर अपीलान्ट द्वारा प्रकरण मे दिनांक 16/03/2017 को उपस्थिति दर्ज करायी व जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामील नही हुई। प्रासेडिग दिनांक 16/03/2017 मे जवाबदावा हेतु दिनांक 31/05/2017 को तारीख पेशी नियत हुई। दिनांक 31/05/2017 को प्रोसेडिग मे अंकित किया गया कि वकील वादी ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं प्रकरण कैम्प कोर्ट एराल मे पेश हो किन्तु कैम्प कोर्ट एराल की कोई तारीख पेशी अंकित नही की गयी न ही कोई प्रार्थना पत्र की नकल प्रतिवादी/अपीलान्ट को दी गयी। वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया एवं विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद मे विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व न्यायालय के लोक अदालत केम्प शिविर मे निस्तारित किया जिनमे केवल राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार को कोई राजीनामा नही हुआ न ही राजीनामा लिखित मे प्रस्तुत हुआ। लोक अदालत की मूलभूत भावना एवं स्थापित कानून के प्रतिकूल जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश व प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। लीगल सर्विस आथोरिटी एक्ट 1987 की धारा 20 मे लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाना अंकित है जिसमे दोनो पक्षो की उपस्थिति होकर दोनो ही सहमति से राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जा सकता है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नही थी। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ का निर्णय आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19/06/2017 प्रकरण संख्या 181/2016 निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय राजस्व शिविर एराल मे पारित किया गया है तथा नोटिस चस्पानंगी के माध्यम से तामील दिखाया गया है। इस प्रकार जारी प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट एराल के नोटिस जारी किये गये है जिन्हे लेने से इंकार किया गया है। चस्पानंगी के माध्यम से तामील कराया गया है जो पर्याप्त तामील की परिभाषा मे आता है। निर्णय जमाबन्दी मे उल्लेखित 1/3 – 1/3 हिस्से के अनुसार ही किया गया है। किसी का हिस्सा कम या ज्यादा नही किया गया है एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाना है। ऐसी सूरत मे अपीलान्ट को किसी प्रकार का नुकसान नही हो रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सद्भावी क्रेता है जिसका राजस्व रिकार्ड मे अंकन हो चुका है तथा जरिये रजिस्ट्री क्रय करते समय श्री शम्भु की पत्नि श्रीमती सुन्दर बाई द्वारा 1/3 हिस्से का कब्जा प्राप्त कर चुकी है जिसका बंटवाडा कराने का उन्हे विधिक अधिकार है जिससे उनको वंचित नही रखा जा सकता है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य निर्विवादित है कि उक्त भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड मे 1/3 हिस्सा श्रीमती सुन्दरबाई पत्नि श्री शम्भु का है जिसका बेचान श्रीमती सुन्दरबाई द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेखा कुमावत को किया जा चुका है जिसका राजस्व रिकार्ड मे अंकन भी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे पारित प्राथमिक डिक्री खातेदारी मे वर्णित हिस्से के अनुसार ही जारी की गई है। किसी भी खातेदार का हक या हिस्सा कम या ज्यादा नही किया गया है। उक्त प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव अभी आना शेष है। तत्पश्चात् ही अंतिम

निर्णय एवं डिक्री पारित की जानी है। ऐसी सूरत मे अधीनस्स्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 181/2016 मे पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19/06/2017 मे किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़